भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 256

जिसका उत्तर मंगलवार, 22 जुलाई, 2025/31 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया गया

बैंकों में जमा धनराशि के बीमा की सीमा को बढ़ाया जाना

256. **श्री नीरज डांगी:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बैंकों में सामान्य नागरिकों की जमा धनराशि के बीमा की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बैंकों में सामान्य नागरिकों द्वारा जमा की गई पूरी धनराशि का बीमा नहीं जाने का कारण क्या है, इस संबंध में अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) एवं **(ख):** निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार कुल जमा बीमा से संबंधित कवर बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई बचत, सावधि, चालू, आवर्ती आदि जैसी सभी जमाराशियों के "समान क्षमता और समान अधिकार" में खाताधारक द्वारा धारित जमाराशियों के लिए प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक है। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार, डीआईसीजीसी समय-समय पर अपनी वित्तीय स्थिति और समग्र रूप से देश की बैंकिंग प्रणाली के हित को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से उपर्युक्त जमा बीमा से संबंधित सीमा को बढ़ा सकता है। परिणामत:, दिनांक 4.2.2020 से निक्षेप बीमा कवरेज की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई थी। डीआईसीजीसी अपनी वित्तीय स्थिति और देश की वित्तीय प्रणाली के हित पर विचार करता है ताकि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार जमा बीमा से संबंधित सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार को उपयुक्त प्रस्ताव दिया जा सके।

(ग): जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) के मूल सिद्धांतों के मूल सिद्धांत 8 के संदर्भ में, निक्षेप बीमा कवरेज सीमित एवं विश्वसनीय होना चाहिए और जमाकर्ताओं के बड़े भाग को कवर करना चाहिए, लेकिन बाजार अनुशासन के प्रति पर्याप्त संख्या में जमाराशियों को छोड़ देना चाहिए। भारत में निक्षेप बीमा कवरेज सीमा इस सिद्धांत के साथ संरेखित होती है, जो बैंकों को जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए बड़ी संख्या में जमाकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है। यह प्रयास सुनिश्चित करता है कि बड़ी संख्या में जमाकर्ता पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं, अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित हैं, और बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखते हैं।

5 लाख रुपये की वर्तमान निक्षेप बीमा सीमा के साथ, जमा खातों की कुल संख्या का 97.6 प्रतिशत पूरी तरह से बीमाकृत है और जमा के कुल मूल्य का 41.5 प्रतिशत 31 मार्च, 2025 तक बीमित है।

****